

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 557]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
सं. 71/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-76/2020/वाक/पांच (104).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के छोटे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 14/2020-राज्य कर क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(38) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र में (असाधारण) क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पहले अनुच्छेद में, “एक वित्तीय वर्ष” शब्दों के स्थान पर “2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष” अंक और और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) दूसरे अनुच्छेद में, “1 अक्टूबर, 2020” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 दिसम्बर, 2020” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-76/2020/वाक/पांच (104).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-76/2020/वाक/पांच (104), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 71/2020 – State Tax

No. F 10 -76/2020/CT/V(104).— In exercise of the powers conferred by sixth proviso to rule 46 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Notification No. 14/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(38), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, namely:—

In the said notification,—

- (i) in the first paragraph, for the words “a financial year”, the words and figures “any preceding financial year from 2017-18 onwards” shall be substituted;
- (ii) in the second paragraph, for the figures, letters and words “1st day of October”, the figures, letters and words “1st day of December” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 30th September 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
सं. 72/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-76/2020/वाक/पांच(105).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, छत्तीसगढ़ और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 30 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(द) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।”

3. उक्त नियम के नियम 48 के खंड (4) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।”

4. उक्त नियम के नियम 138क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(2) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।”

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-76/2020/वाक/पांच(105).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-76/2020/वाक/पांच(105), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 72/2020 – State Tax

No. F 10-76/2020/CT/V(105).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force from 30th September, 2020.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-

“(r) Quick Response code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.”.

3. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.”.

4. In the said rules, in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 30th September 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.